M.P. JUDICIAL SERVICE (CIVIL JUDGE) MAIN EXAMINATION - 2015

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

कुल प्रश्नों की संख्या : 4
Total No. of Questions : 4

मुद्रित पृष्ठों की संख्या :12
No. of Printed Pages : 12

JUDGMENT WRITING
निर्णय लेखन

Fourth Paper
चतुर्थ प्रश्न–पत्र

समय – 3:00 घण्टे
Time Allowed – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any Number or any mark of identification in any form in any place of the Answer Book not provided for, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
   उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निषान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.
   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.No./ प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks/ अंक

SETTLEMENT OF ISSUES
विवाद्यकों का स्थिरीकरण

Q.1 Settle the issues on the basis of the pleadings given here under - **10**

PLAINTIFF'S PLEADINGS :- The plaintiff has filed a suit for eviction and consequential relief against the defendant under the provisions of M.P. Accommodation Control Act 1961. The grounds are that he is the owner and landlord of the suit accommodation in which the defendant is his tenant @ Rs.3000/- per month. He and his family members reside in a house bearing Municipal House No.20, Sanjeevani Nagar, Jabalpur. The House consists of four small rooms measuring 10 feet x 12 feet in addition to a small kitchen and a living room cum dining room. His family comprises his wife, two sons aged 24 & 20 years and one daughter aged 22 years. His children require separate rooms for their studies. His elder son is marriageable and very soon he will marry him, then he would require a separate room exclusively for him. In the circumstances, his present accommodation is insufficient to fulfill his residential requirements. Therefore, he bonafidely needs the suit accommodation. He has no alternative suitable accommodation of his ownership in Jabalpur city. The defendant has purchased a flat in a posh colony of the city in which he and his family members has been residing for a year. Ever since, the defendant has locked the suit accommodation.

WRITTEN STATEMENT :- The defendant has admitted that he is the tenant of the plaintiff in the suit accommodation @ Rs. 3000/- per month. However, he has denied all the remaining averments made by the plaintiff in the plaint. He has pleaded that the plaintiff's present accommodation consists of 6 big rooms in addition to a kitchen and a living room cum dining room. The plaintiff's eldest son has recently completed his graduation in the engineering stream and he is already got a job in the campus-

selection in a company based at Bangaluru. Therefore, after his joining the job his requirement for a separate room will come to an end. His wife has purchased a flat with her own income in her name in which their married son and his family reside. They occasionally stay with them. He and his four family members still reside in the suit accommodation. The plaintiff also possesses a house of his ownership in the city which is suitable for his present residential needs. In fact, the plaintiff want to let out the suit accommodation on higher rent after getting him evicted. For this reason, he has filed the suit on false averments. Therefore, the suit be dismissed with compensatory cost.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये।

वादी के अभिवचन – वादी ने यह वाद प्रतिवादी के विरूद्ध निष्कासन एवं पारिणामिक सहायता प्राप्ति हेतु मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। आधार यह है कि वह वादग्रस्त मकान का स्वामी व मकान मालिक (भूस्वामी) है तथा उसमें प्रतिवादी उसका 3000/– रूपये प्रतिमाह की दर से किरायेदार है । वह वर्तमान में अपने परिवार के सदस्यों के साथ नगर पालिका भवन क्रमांक 20 संजीवनी नगर, जबलपुर में निवासरत् है । मकान में चार छोटे कमरे हैं, जिनका परिमाप 10 फीट x 12 फीट है। इसके अतिरिक्त एक छोटा रसोईघर व बैठक सह भोजन कक्ष है। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 24 व 20 वर्षीय दो पुत्र एवं एक 22 वर्षीय पुत्री है । उसके बच्चों को उनके अध्ययन हेतु पृथक कमरों की आवश्यकता है । उसका बड़ा पुत्र विवाह योग्य है । अतिशीघ्र ही वह उसका विवाह करेगा और तब उसे एकमेव पृथक कमरे की आवश्यकता होगी । इन परिस्थितियों में उसका वर्तमान आवास उसकी रहवासी आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु अपर्याप्त है । अतएव उसे वादग्रस्त आवास की सद्भाविक आवश्यकता है । जबलपुर नगर में उसके पास उसके स्वामित्व का कोई वैकल्पिक सुविधाजनक आवास नहीं है । प्रतिवादी ने नगर के आलीशान कॉलोनी में एक फ्लैट क्रय किया है जिसमें वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक वर्ष से रह रहा है । तबसे प्रतिवादी ने वादग्रस्त आवास में ताला लगा रखा है ।

प्रतिवादी के अभिवचन – प्रतिवादी ने स्वीकार किया है कि वह वादग्रस्त आवास में 3000/– रूपये प्रतिमाह की दर से वादी का किरायेदार है । तथापि उसने वादी द्वारा वादपत्र में किये गये शेष सभी अभिवचनों का खंडन किया है । उसने यह अभिवचन किया है कि वादी के वर्तमान आवास में एक रसोईघर और एक बैठक सह भोजन कक्ष के अतिरिक्त 6 बड़े कमरे हैं । वादी के ज्येष्ठ पुत्र ने हाल में ही अभियांत्रिकी शाखा में स्नातक किया है और उसका कैम्पस चयन बैंगलुरू स्थित एक कंपनी में हो चुका

है। अतएव उसका नौकरी करने हेतु बैंगलुरू जाने के पश्चात् उसकी पृथक कमरे की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी । उसकी पत्नी ने स्वयं की आय से स्वयं के नाम पर एक फ्लैट क्रय किया जिसमें उसका विवाहित पुत्र उसके परिवार सहित निवास करता है । वह यदाकदा उनके साथ ठहरता है । वह और उसके चार पारिवारिक सदस्य अब भी वादग्रस्त आवास में निवासरत् हैं । वादी के पास नगर में उसके स्वामित्व का एक अन्य मकान है जो उसकी वर्तमान आवासीय आवश्यकताओं हेतु उपयुक्त है । वास्तव में, वादी उसे निष्कासित करने के पश्चात् वादग्रस्त आवास को उच्च किराये पर देना चाहता है । इसी कारण से उसने मिथ्या अभिवचन करके वाद प्रस्तुत किया है अतएव प्रतिकरात्मक व्यय के साथ वाद खारिज किया जाये ।

FRAMING OF CHARGES
आरोपों की विरचना

Q. 2 Frame a charge/charges on the basis of allegations given here under.- **10**

PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS – Surendra Singh was a driver of a truck with registration no. HR 55 R7750. On 20.10.2015 he was carrying the truck from Gwalior to Shivpuri. On the way before his truck, Ram Singh was driving a truck bearing registration no. MH 31- 7851 in a rash and negligent manner causing endanger to human life and injury to any other person and he was not allowing Surendra Singh to take his truck forward. Ram Singh stopped his truck near a Dhaba which falls under the territorial jurisdiction of Police Station Satnawad. Seeing that, Surendra Singh also stopped his truck. Thereafter, he took strong objections to the said acts of Ram Singh. Thereupon an altercation broke out between them. In the course of which Ram Singh committed marpeet with Surendra Singh with an iron rod. As a result, he suffered fracture in his right Tibia bone. He also damaged his truck and thus caused him a loss of 8000/- rupees in terms of money.

निम्नलिखित अभिकथनों के आधार पर आरोप विरचित कीजिये।

अभियोजन का प्रकरण/अभिकथन – सुरेन्द्र सिंह ट्रक पंजीयन क्रमांक एचआर 55 आर–7750 का चालक था । दिनाँक 20.10.15 को वह ट्रक को ग्वालियर से

शिवपुरी ले जा रहा था । उसके ट्रक के आगे रामसिंह ट्रक पंजीयन क्रमांक एमएच 31–7851 को उतावलेपन और लापरवाहीपूर्वक तरीके से चला रहा था जिससे किसी अन्य व्यक्ति को आसन्न क्षति या मानवजीवन संकटापन्न हो रहा था और वह सुरेन्द्र सिंह को उसका ट्रक आगे नहीं ले जाने दे रहा था । रामसिंह ने उसका ट्रक एक ढाबे के पास रोका, जो कि पुलिस थाना सतनावद के स्थानीय क्षेत्राधिकार में आता है । यह देखकर सुरेन्द्र सिंह ने भी अपना ट्रक रोका । तत्पश्चात् उसने रामसिंह के उक्त कृत्यों के प्रति कड़ी आपत्ति ली जिसपर उन दोनों के बीच कहासुनी हो गई । इस दौरान रामसिंह ने सुरेन्द्र सिंह के साथ लोहे की छड़ से मारपीट की । परिणामस्वरूप, उसकी दाहिनीं टीबिया अस्थि में भंग हुआ । उसने उसके ट्रक को भी क्षतिकारित की और इस तरह उसे धन के रूप में 8000/– रूपये की हानि हुई ।

JUDGMENT/ORDER (CIVIL) WRITING (CJ-II)
निर्णय/आदेश (सिविल) लेखन (CJ-II)

Q. 3 Write a judgment on the basis of pleadings and evidence given here under after framing necessary issues and analyzing the evidence, keeping in mind the provisions of relevant Law/Acts :- **40**

Plaintiff's Pleadings :- 1. Plaintiff Om Pal Singh, instituted a suit for recovery of Rs. 54,450/- against the defendant on the basis of a promissory note dated 6th May, 1982. It was averred in the plaint that the defendant being in need of money requested the plaintiff in the month of April, 1982 to give him a loan of Rs. 40,000/-. The plaintiff agreed and gave him a loan of Rs. 40,000/- on 6th May, 1982. After receiving the said amount in cash, the defendant executed a promissory note on the same day with a stipulation to repay the same on demand along with interest at the rate of 12% p.a. However, the defendant failed to repay the amount despite several oral demands. A registered notice dated 15th April, 1985 was sent by the plaintiff to the defendant demanding repayment of the said amount. Despite receipt of the said notice, the defendant did not return the amount. Therefore, the plaintiff filed the suit for recovery of the aforesaid amount along with interest at the rate of 12% p.a.

Defendant's Pleadings :- 2. The defendant in the written statement has denied that he had ever borrowed a sum of Rs. 40,000/- from the plaintiff and executed any promissory note on

6th May, 1982. It was alleged by him that the promissory note is a forged document. It was also alleged by him that the suit is filed by the plaintiff in collusion with his brother Netra Pal Singh, who is an attesting witness to the promissory note.

Plaintiff's Evidence :- 3. In support of the case, plaintiff Om Pal Singh examined himself as PW-1 and also examined two witnesses, namely, his brother Netra Pal Singh, PW-2 and Malkhan Singh, as PW-3.

4. P.W. 1 Om Pal Singh, the plaintiff, stated that the defendant took a loan of Rs. 40,000/- on interest at the rate of 12% per annum from him on 6th May, 1982 in the presence of his brother Netra Pal Singh, Gurvinder Singh and Malkhan Singh executing the promissory note Ex. P1. He also stated that the defendant signed the promissory note at points A and B. Malkhan Singh signed at point C and Netra Pal Singh at point D.

5. In his cross-examination he denied the suggestion that no loan was advanced to the defendant and that he had forged the promissory note. He denied the suggestion that Malkhan Singh was not present at that time. He stated that he had sold his vehicle HRP-2128 at the relevant time and, therefore, he had the money with him. He admitted that his brother had also advanced a loan to the defendant.

6. Netra Pal Singh P.W. 2 stated that Om Pal Singh, the plaintiff, advanced a loan of Rs. 40,000/- on interest at the rate of 12% per annum to the defendant in his presence and that of Malkhan Singh whereupon the defendant executed the promissory note Ex. P1. He also stated that the plaintiffs had sold his vehicle for Rs. 1,80,000/- and he paid the loan amount out of the amount.

7. In cross-examination, P.W. 2 admitted that the suit which he had filed against the defendant was dismissed by the Court of Additional District Judge and that as against the said judgment he filed an appeal which is pending in the High Court.

8. Malkhan Singh P.W. 3 deposed that he knows the plaintiff and the defendant, that he borrowed Rs. 40,000/- from the plaintiff on 6th May, 1982 and that at that time he, the plaintiff, Netra Pal

Singh and others were present. According to him, the defendant himself brought the typed promissory note and Om Pal Singh gave Rs. 40,000/- to him whereupon the defendant executed the promissory note Ex. P1. He had also proved signature of him and those of the defendant and Netra Pal Singh on the promissory note Ex. P1.

9. In cross-examination he denied the suggestion that the plaintiff did not pay Rs. 40,000/- in cash to the defendant. He also denied the suggestion that he was not present when the promissory note was executed by the defendant.

Defendant's Evidence :- 10. The defendant examined himself as DW1 and closed his evidence. He denied having executed any promissory note on the said date. He also denied his signature at points A and B on the promissory note and asserted that those were not his signatures. He admitted his signatures on the vakalatnama executed by him in favour of his Advocate. He also stated that except signing at point PA on the vakalatnama, he had not signed any other document. He furhter stated that he had not even signed the written statement at point PB. He also denied his signature on the application moved by him under Section 151 of the Code of Civil Procedure.

Arguments Plaintiff :- 11. The counsel appearing for the plaintiff contended that execution of the promissory note dated 6th May, 1982 is duly proved by the plaintiff and his witnesses. Malkhan singh P.W. 3, who is an independent witness.

Arguments Defendant :- 12. The learned counsel appearing for the defendant contended that the promissory note was a forged and fabricated document and, therefore, no reliance should be placed on it. It was also submitted by him that the court is not competent to compare the signatures given by the defendant in the Court on 13th March, 1991 with disputed signatures allegedly made by the defendant at point AB on the promissory note Ex.P1.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये एवं साक्ष्य का विवेचन करते हुए संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिखिये –

वादी के अभिवचन :–

1– वादी ओमपालसिंह ने प्रतिवादी के विरूद्ध प्रोमेसरी नोट दिनॉक 06–05–1982 के आधार पर 54,450/–रूपये की वसूली हेतु वाद संस्थित किया। वादपत्र में यह कहा गया कि प्रतिवादी को धनराशि की आवश्यकता होने पर उसके द्वारा अप्रैल 1982 में चालीस हजार रूपये ऋण देने का निवेदन किया गया। वादी सहमत हुआ तथा उसने प्रतिवादी को चालीस हजार रूपये का लोन दिनाँक 06–05–1982 को दिया। उक्त राशि नगद प्राप्त करके प्रतिवादी ने एक प्रोमेसरी नोट संपादित किया जिसमें उल्लेखित था कि उक्त राशि मॉगे जाने पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज के साथ वापस करेगा। इसके बावजूद प्रतिवादी बार–बार मौखिक मॉग किये जाने पर राशि वापस करने में असफल रहा। वादी द्वारा दिनाँक 15–04–1985 को प्रतिवादी को उक्त राशि को वापस भुगतान करने के लिये पंजीकृत नोटिस प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रतिवादी ने राशि वापस नहीं की। इसलिये वादी ने उपरोक्त राशि की 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वसूली हेतु वाद प्रस्तुत किया।

प्रतिवादी के अभिवचन :–

2– प्रतिवादी ने जवाबदावा में वादी से चालीस हजार रूपये ऋण लेने एवं दिनाँक 06–05–1982 को प्रोमेसरी नोट संपादित करने से पूर्णतः इंकार किया। प्रतिवादी द्वारा यह आक्षेपित किया गया कि प्रोमेसरी नोट एक फर्जी दस्तावेज है। यह आक्षेप किया गया कि वादी ने अपने भाई नेत्रपालसिंह, जो प्रोमेसरी नोट का एक अनुप्रमाणन साक्षी है, के साथ दुरभिसंधि करके वाद प्रस्तुत किया है।

वादी की साक्ष्य :–

3– वादी ने अपने पक्ष समर्थन में स्वयं कों वादी साक्षी कमांक 1 के रूप में परीक्षित कराया तथा दो अन्य साक्षियों कमशः अपने भाई नेत्रपालसिंह एवं श्री मलखानसिंह को वादी साक्षी क्रमांक 2 एवं 3 के रूप में भी परीक्षित कराया ।

4– वादी ओमपालसिंह वा0सा01 ने कहा कि प्रतिवादी ने उससे चालीस हजार रूपये का ऋण 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज पर दिनाँक 06–05–1982 को अपने भाई नेत्रपालसिंह, गुरूदेवसिंह एवं मलखानसिंह तथा अन्य के समक्ष लिया था। वादी ने यह भी कहा कि उक्त ऋण के प्रमाण बतौर प्रतिवादी ने प्रदर्श पी. 1 का प्रोमेसरी नोट संपादित किया है। वादी ने यह भी कहा कि प्रतिवादी ने प्रोमेसरी नोट पर ए एवं बी बिन्दुओं पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी मलखानसिंह ने सी बिन्दु पर तथा नेत्रपालसिंह ने डी बिन्दु पर हस्ताक्षर किये थे।

5– प्रतिपरीक्षण में वादी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसके द्वारा कोई ऋण

नहीं दिया गया था तथा फर्जी प्रोमेसरी नोट तैयार किया गया है। उसने इस सुझाव को भी अस्वीकार किया कि उक्त समय पर मलखानसिंह उपस्थित नहीं था। उसने कहा कि उसने अपना वाहन एच0आर0पी0–2128 तत्समय में बेचा था और इसीलिये उसके पास उस समय धनराशि थी। उसने स्वीकार किया कि उसके भाई द्वारा भी प्रतिवादी को ऋण दिया गया है।

6– नेत्रपालसिंह वा0सा02 ने यह साक्ष्य दी कि वादी ओमपालसिंह ने 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज पर चालीस हजार रूपये का ऋण उसकी एवं मलखानसिंह की उपस्थिति में दिया था जिस पर से प्रदर्श पी01 का प्रोमेसरी नोट प्रतिवादी ने संपादित किया था। उसने यह भी कहा कि वादी ने उसका वाहन एक लाख अस्सी हजार रूपये में बेचा था और उक्त राशि में से उसने ऋण राशि प्रदान की थी।

7– वा0सा02 ने प्रतिपरीक्षण में कहा कि उसने जो वाद प्रतिवादी के विरूद्ध अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, वह निरस्त हुआ था एवं उक्त निर्णय के विरूद्ध उसने अपील प्रस्तुत की है जो उच्च न्यायालय में लम्बित है।

8– मलखानसिंह वा0सा03 ने साक्ष्य में यह कहा कि वह वादी एवं प्रतिवादी को जानता है एवं प्रतिवादी ने वादी से दिनाँक 06–05–1982 को चालीस हजार रूपये लिये थे । उस समय वह, वादी, नेत्रपालसिंह एवं अन्य उपस्थित थे। प्रतिवादी स्वयं टाईपशुदा प्रोमेसरी नोट लाया था और ओमपालसिंह ने चालीस हजार रूपये उसे दिये थे, जिस पर से प्रतिवादी ने उसके सामने प्रदर्श पी. 1 का प्रोमेसरी नोट संपादित किया था। उसने प्रदर्श पी. 1 के प्रोमेसरी नोट पर उसके स्वयं के, प्रतिवादी तथा नेत्रपालसिंह के हस्ताक्षर प्रमाणित किये।

9– प्रतिपरीक्षण में उसने इस सुझाव में अस्वीकार किया कि वादी ने चालीस हजार रूपये प्रतिवादी को नगद नहीं दिये। उसने इस सुझाव को भी अस्वीकार किया कि जब प्रोमेसरी नोट प्रतिवादी ने संपादित किया तब वह मौजूद ही नहीं था।

<u>प्रतिवादी की साक्ष्य</u> :–

10– प्रतिवादी ने स्वयं को प्रति0सा01 के रूप में परीक्षित किया और अपनी साक्ष्य समाप्त की। उसने कथित दिनॉक पर कोई भी प्रोमेसरी नोट संपादित करने से इंकार किया। उसने प्रोमेसरी नोट पर ए तथा बी स्थानों पर अपने हस्ताक्षर होने से भी इंकार किया तथा यह कहा कि उक्त हस्ताक्षर उसके नहीं हैं। उसने अपने अभिभाषक के पक्ष में संपादित वकालतनामा पर भी हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । उसने यह भी कहा कि वकालतनामा पर बिन्दु पी0ए0 पर हस्ताक्षर करके अभिभाषक को देने के अतिरिक्त उसने अन्य कोई दस्तावेज संपादित नहीं किया। उसने आगे कहा कि उसके द्वारा जवाबदावा पर पी0बी0 बिन्दु पर भी हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। उसने अपने द्वारा प्रस्तुत किये गये धारा 151 सी0पी0सी0 के आवेदन पर भी अपने हस्ताक्षर होने से इंकार किया गया।

तर्क वादी :–

11– वादी के अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया कि 06–05–1982 को प्रोमेसरी नोट का संपादन वादी एवं उसके साक्षियों द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया गया है। मलखानसिंह वा0सा01 एक स्वतंत्र साक्षी है।

तर्क प्रतिवादी :–

12– प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया कि प्रोमेसरी नोट एक फर्जी बनाया गया दस्तावेज है, जिस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि प्रतिवादी द्वारा दिनॉक 13–03–1991 को न्यायालय में दिये गये हस्ताक्षरों का विवादित हस्ताक्षरों से मिलान करने के लिये सक्षम नहीं है जो कथित रूप से प्रतिवादी द्वारा प्रदर्श पी01 के प्रोमेसरी नोट पर ए बी भाग में बताये जाते हैं।

निर्णय / आदेश (दांडिक) लेखन (JMFC)
JUDGMENT/ORDER (CRIMINAL) WRITING (JMFC)

Q. 4 Frame the charge and write a judgment on the basis of the allegations and evidence given hereunder by analyzing the evidence, keeping in mind the relevant provisions on the concerning law. **40**

Prosecution Case :- The Prosecution case is that complainant Kuldeepak on 29-08-2007 submitted a written application at city Kotwali in which it is mentioned that he has got a shop of motor parts in the name of Ganga Automobiles situated at Jagatdev Talab. On 24-08-2007 at about 9:00 PM he went to his house after closing the shop. On 25-08-2007 at 9:00 AM, when he opened the shop, he found that the motor parts were scattered. Two crown of GNA Company used in TATA vehicles costing Rs. 7,000/- were not found. On the basis of this report the crime No. 587/2007 under sections 457, 380 of IPC was registered. Site map was prepared. The disclosure statement of the accused was recorded on 08.09.2007 and pursuant to it, two crowns were seized from the house of the accused. The statements of the witnesses were recorded. After completing the investigation the charge sheet was filed in the Court of Judicial Magistrate First Class.

Defence Plea :- The accused denied the charges and his defence is that he has been falsely implicated.

Evidence for prosecution :- The Prosecution examined as many as five witnesses in support of its case. Complainant Kuldeepak (PW-1) proved the FIR Ex.P/1 lodged by him. He deposed the fact of breaking the lock of his shop and theft of aforesaid articles therefrom and deposed the fact of identification of articles. Investigating officer (PW-2) deposed the fact regarding the memo and seizure of stolen property. Rajaram (PW-3) and Gopal (PW-4) were examined to prove memo and seizure but they have not supported the prosecution case. They are declared hostile. Nayab Tahsildar (PW-5) deposed the fact of identification of articles.

Evidence for defence :- Accused examined himself in defence and denied the allegations against him and took a defence of false implication due to enemity.

Arguments of Prosecutor :- The Prosecutor has argued that the prosecution has proved the case beyond reasonable doubt against the accused. Hence, the accused be convicted and sentenced suitably.

Arguments of Defence Counsel :- Learned Counsel for the accused submitted that the complainant lodged FIR with inordinate delay of 04 days and no reason for delay has been given. The recording of disclosure statement on 08-09-2007 of the accused at Ganga Auto Mobile, is also not true and the police has not seized the stolen articles from his possession. The police has made the concocted story in this regard. The identification of the stolen articles has not been done properly, therefore, the prosecution has not proved the case beyond reasonable doubt against the accused. Therefore, accused be acquitted of the charges.

नीचे दिये गये अभियोजन के मामले के आधार पर आरोप विरचित करें तथा नीचे दिये गये तथ्यों, साक्ष्य व तर्कों के आधार पर विचारणीय बिन्दु बनाकर, एक सकारण निर्णय लिखिये –

अभियोजन का प्रकरण :– अभियोजन का मामला यह है कि फरियादी कुलदीपक ने 29.08.2007 को सिटी कोतवाली में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि गंगा ऑटो मोबाइल्स के नाम से मोटर पार्ट्स की उसकी दुकान जगदेव तालाब में स्थित है। 24.08.2007 को लगभग 9:00 बजे रात्रि वह

दुकान बंद करने के पश्चात् अपने घर चला गया था दिनाँक 25.08.2007 को लगभग सुबह 9:00 बजे, जब उसने दुकान खोली तो यह पाया कि मोटरपार्टस् फैले हुए थे । जीएनए कंपनी के दो क्राउन जिनका उपयोग टाटा कंपनी के वाहनों में होता है तथा जिनकी कीमत 7,000/– रूपये थी, नहीं पाए गए। इस रिपोर्ट के आधार पर अपराध सं. 587/2007 भा.दं.सं. की धारा 457, 380 के अधीन दर्ज किया गया। नक्शा मौका तैयार किया गया। अभियुक्त का प्रकटन कथन दिनाँक 08.09.2007 को अभिलिखित किया गया। उसके आधार पर दो क्राउन अभियुक्त के घर से जप्त किए गए। साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए। अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रतिरक्षा अभिवाक :– अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया। उसका बचाव यह है कि उसे झूठा फंसाया गया है।

अभियोजन की साक्ष्य :– अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में पांच साक्षियों के कथन कराए हैं। फरियादी कुलदीपक (अ.सा. 1) ने उसके द्वारा दर्ज एफ.आई.आर. प्रदर्श पी. 1 को साबित किया है। उसने गृह भेदन दुकान से सामान की चोरी के तथा वस्तु की पहचान के तथ्यों का कथन किया है। विवेचना अधिकारी (अ.सा. 2) ने मेमो एवं चोरी की वस्तु की जप्ती के संबंध में कथन किया है। राजाराम (अ.सा. 3) एवं गोपाल (अ.सा. 4) को मेमो एवं जप्ती को साबित करने के लिए परीक्षित कराया गया किन्तु उन्होंने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है। उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। नायब तहसीलदार (अ.सा. 5) ने वस्तु की पहचान कराए जाने के तथ्य का कथन किया है।

बचाव साक्ष्य :– अभियुक्त ने बचाव में अपना कथन कराया है और अपने विरूद्ध लगाए गए आक्षेपों को इंकार किया तथा यह बचाव लिया है कि रंजिश के कारण उसे झूठा फंसाया गया है।

अभियोजक का तर्क :– अभियोजन का तर्क है कि अभियोजन ने मामले को अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया है। इसलिए अभियुक्त को दोषसिद्ध कर उपयुक्त दण्ड दिया जाए।

बचाव अधिवक्ता का तर्क :– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि फरियादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट 04 दिन के असाधारण विलम्ब से दर्ज करायी है तथा विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया गया है। अभियुक्त ने दिनाँक 08.09.2007 को गंगा ऑटो मोबाइल्स पर प्रगटन कथन नहीं दिये और पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की वस्तुएँ जप्त नहीं की । पुलिस ने इस संबंध में मनगढंत कहानी बनाई है। चोरी हुई वस्तुओं की पहचान उचित रूप से नहीं की गई है । इसलिए अभियोजन ने मामले को अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया है। इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए।

****